विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या– 1103

दिनांक 05/12/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाबहार पत्तन पर प्रतिबंधों का निरसन

1103 **श्री एस.जगतरक्षकन**;

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार को सयुंक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान फ्रीडम और काउंटर-प्रोलिफरेशन एक्ट के अंतर्गत पूर्व में जारी छूट को हाल ही में रद्द करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सयुंक्त राज्य अमेरिका द्वारा रद्द करने के आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे;

(ग) वर्ष 2018 से अब तक भारत ने चाबहार पत्तन में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया है;

और

(घ) क्या सरकार ने छूट रद्द करने से निपटने के लिए कोई उचित उपाय किए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से घ) जी,हां। दिनांक 4 फरवरी 2025 को, अमेरिकी प्रशासन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति ज्ञापन [एनएसपीएम-2] के माध्यम से अमेरिकी सेक्रेटरी ऑप स्टेट को ऐसे प्रतिबंधों की छूट को संशोधित या रद्द करने का अधिदेश दिया, विशेषकर ऐसे प्रतिबंध जो ईरान को किसी भी स्तर की आर्थिक या वित्तीय राहत प्रदान करते हैं, जिसमें ईरान की चाबहार बंदरगाह परियोजना भी शामिल है। एनएसपीएम-2 के अनुसरण में, 16 सितंबर 2025 को, अमेरिकी स्टेट विभाग ने 29 सितंबर 2025 से प्रभावी, वर्ष 2018 की छूट को रद्द कर दिया।

भारत सरकार ने इस बंदरगाह के लिए उपकरणों की आपूर्ति के लिए लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था, जो अफगानिस्तान को मानवीय और अन्य प्रकार की आपातकालीन सहायता प्रदान करने में सहायक था।

भारत के अभ्यावेदन के बाद, 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक पत्र जारी किया जिसमें उल्लेख किया गया कि चाबहार बंदरगाह से जुड़ी गतिविधियां 26 अप्रैल 2026 तक अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आएगी।

भारत सरकार इस व्यवस्था को निष्पादित करने के लिए अमेरिकी स्टेट विभाग और ट्रेजरी के साथ निरंतर संपर्क में है।

*****